

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 76 / 2023 (अपील सूचना का अधिकार)

भाविक पानेरी पुत्र जगदीश चन्द्र पानेरी निवासी: 7 दुर्गा नर्सरी रोड, पानेरी
भवन, उदयपुर (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 08-08-2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/76/23/1003-04 दिनांक 18.07.2023 से लिखा गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/76/2023/779 दिनांक 27.07.2023 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय का अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 545-47 दिनांक 16.06.2023 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से होने से प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय उपखण्ड



M
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अधिकारी गिर्वा को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना से अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 545-47 दिनांक 16.06.2023 से अवगत करा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना का संबंध कार्यालय उपखण्ड गिर्वा से होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर